

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 446 / 2025

अजय पाल चाहर पुत्र अंगद कुमार जाति जाट निवासी मकान न. 80 एच ब्लाक वार्ड न. 34 श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

वादी

बनाम्

सुनीता पुत्री अंगद कुमार जाति जाट निवासी निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक...17/10/25...

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जे०एन० शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक न० 21 एनजीसी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 96/2 में 1.7080 हे० नाली प्रथम मय गै.मु. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व चक न० 21 एनजीसी के खाता स० 96/2 में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उप(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।